

## ‘झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परभाषा और परणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक वस्तितारति करने के लयि वधियक, 2022’ को राज्यपाल ने वापस लौटाया

### चरचा में क्यों?

29 जनवरी, 2023 को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से पारति 1932 के खतयान आधारति स्थानीय नीति से संबंघति ‘झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परभाषा और परणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक वस्तितारति करने के लयि वधियक, 2022’ को राज्यपाल रमेश बैस ने समीक्षा के लयि वापस लौटा दया है।

### प्रमुख बदि

- राज्यपाल ने वधियक को लौटाते हुए राज्य सरकार से कहा है कि इस वधियक की वैधानकिता की गंभीरतापूर्वक समीक्षा करें कि यह संवधान के अनुरूप एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व नरिदेशों के अनुरूप हो।
- उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही झारखंड मुक्ता मोर्चा, कॉंग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (झामुमो-कॉंग्रेस-राजद) की महागठबंधन सरकार ने ‘झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परभाषा और परणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक वस्तितारति करने के लयि वधियक, 2022’ को 11 नवंबर, 2022 को ध्वनमित से पारति करके अनुमोदन के लयि राज्यपाल के पास भेजा था।
- इस वधियक में कहा गया था कि झारखंड में स्थानीय व्यक्तियों को लोग कहलाएंगे, जो भारत के नागरिक होंगे और झारखंड की क्षेत्रीय एवं भौगोलिक सीमा में नवास करते हैं। उसके पूर्वज के नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण/खतयान में दर्ज हैं।
- इस वधियक में यह भी कहा गया है कि इस अधनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ता ही राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी के हकदार होंगे।
- वधियक की समीक्षा में पाया गया कि संवधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नयोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त हैं। संवधान की धारा 16(3) के अनुसार सरि संसद को वशिष प्रावधान के तहत धारा 35(A) के अंतर्गत नयोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार है। राज्य वधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।
- गौरतलब है कि ए.वी.एस. नरसमिहा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य (AIR 1970 SC 422) में भी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि नयोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार केवल भारतीय संसद में ही नहिति है। इस प्रकार यह वधियक संवधान के प्रावधान तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वपिरीत है।
- झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है, जो पाँचवी अनुसूची में आता है। उक्त क्षेत्रों में शत-प्रतशित स्थानीय व्यक्तियों को नयोजन में आरक्षण देने के वषिय पर सुप्रीम कोर्ट की संवधानिक बेंच द्वारा स्पष्ट दशा-नरिदेश जारी कया जा चुका है। इस आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में नयुक्तियों की शर्त लगाने की राज्यपाल में नहिति शक्तियों को भी संवधान की धारा 16 के वपिरीत घोषति कया था।
- सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य द्वारा दयि गए शत-प्रतशित आरक्षण को असंवैधानिक घोषति कर दया था। वदिति है कि वधि विभाग ने स्पष्ट कया था कि प्रश्नगत वधियक के प्रावधान संवधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के वपिरीत हैं। साथ ही कहा गया है कि ऐसे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट एवं झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारति आदेशों के अनुरूप नहीं हैं।
- वधि विभाग ने यह भी कहा कि ऐसा प्रावधान स्पष्टतः भारतीय संवधान के भाग-III के अनुच्छेद 14, 15, 16 (2) में प्रदत्त मूल अधिकार से असंगत व प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला प्रतीत होता है, जो भारतीय संवधान के अनुच्छेद 13 से भी प्रभावति होगा तथा अनावश्यक वाद-वविदों को जन्म देगा।